

क्रमांक 848 दिनांक 5-5-22

To Mr. Manager
SBI
Hawari
Hawari

NON - ENCUMBRANCE CERTIFICATE

Fee
3100/-

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 112 ~~क्र. नं. - 3288~~ 8-4 आवेदन पत्र संख्या

प्रमाण पत्र संख्या ~~Pradhan Pd. L-sher Singh~~

चूंकि श्री ~~Pradhan Pd. L-sher Singh~~ ने आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० तक तलाशी की गए और ऐसे तलाशी के बाद

निम्न संव्यवहारों अवभारों को पता चला है- ~~vill Khirgaon near Hauling No. 45~~
~~Khasra No 108 Plot No 1646 Area 32 Dec.~~

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
			1772 to 30-4-22 Nil					

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें-

ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो


ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

For Durga Parvati Construction Pvt. Ltd.
Supt. Kumar

Director
क.प.उ.


मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने प्रमाण पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर - 

पदनाम - T.C.

प्रमाण पत्र को जाँच निम्न व्यक्ति ने किया -


हस्ताक्षर - 

पदनाम - T.C.

कार्यालय -


जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग

तारीख 5-5-22


जिला अवर निबंधक
हजारीबाग
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
5-5-22

- टिप्पणी : इस प्रमाण पत्र में संव्यवहार और अवभार दिखाये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रांजेशन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।
- 2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इनडेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा इन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण - पत्रों की जरूरत तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।
विहित फीस की भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जाएगी।
- क) किन्तु चूंकि वर्तमान में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की, भी विभाग प्रमाण पत्रों में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवारी नहीं होगा।
- ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यपान के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढुंढे गए ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा तथा किसी भी भूल अथवा छूट के लिए कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा, जिसमें उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Personality search found no Encumbrance.



5781/55

